



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक परीक्षा- वर्ष 2013  
परीक्षा कार्यक्रम

समय- प्रातः 08.00 से 11.15 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 14 मार्च, 2013	अंग्रेजी अनिवार्य (02)
शुक्रवार, 15 मार्च, 2013	हिन्दी अनिवार्य (01)
शनिवार, 16 मार्च, 2013	अन्तराल
रविवार, 17 मार्च, 2013	रविवार अवकाश
सोमवार, 18 मार्च, 2013	गणित (09)
मंगलवार, 19 मार्च, 2013	अन्तराल
बुधवार, 20 मार्च, 2013	तृतीय भाषा- संस्कृत (71), उर्दू (72), गुजराती (73), सिन्धी (74), पंजाबी (75)
गुरुवार, 21 मार्च, 2013	अन्तराल
शुक्रवार, 22 मार्च, 2013	विज्ञान (07)
शनिवार, 23 मार्च, 2013	अन्तराल
रविवार, 24 मार्च, 2013	रविवार अवकाश
सोमवार, 25 मार्च, 2013	सामाजिक विज्ञान (08)

- नोट:-
1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
  2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
  3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा /जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 40 प्रतिशत विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतिलेखक देय होगा।
  4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतिलेखक देय होगा।
  5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उडनदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
  6. प्रश्न-पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
  7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
  8. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
  9. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
  10. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में "समाप्त" शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।

सचिव